



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

षष्ठम् सत्र

अंक-11

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने आग्रह किया कि कोरोना वायरस की अत्यन्त चिन्ताजनक संभावनायें हैं। इसलिये गंभीरता पर विचार करते हुये तत्काल सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जावे।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य विपक्षी सदस्यों ने आग्रह किया कि प्रश्नकाल चलने दिया जाये। प्रश्नकाल स्थगित करने की जरूरत नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री का प्रस्ताव है और मेरा भी प्रस्ताव है कि प्रश्नकाल सहित सदन की कार्यवाही आज से स्थगित की जाये और आने वाले समय में जैसा आप निर्धारित करें, सदन में चर्चा होगी। अतः स्वास्थ्य मंत्री जी का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आज प्रश्नकाल स्थगित किया जाये। यद्यपि प्रश्नकाल को स्थगित करने का कोई नियम नहीं है, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रश्नकाल को स्थगित किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि वर्तमान में भी देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति व्याप्त है और कोरोना वायरस का फैलाव न हो, इस दृष्टि से हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न पहुंचे ।

मामला सभी के स्वास्थ्य से संबंधित है और इस दिशा में चिन्ता करना भी आवश्यक है, अतः प्रश्नकाल को स्थगित करता हूं ।

(सदन की कार्यवाही 11.19 बजे स्थगित की जाकर 12.00 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2020 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के महामारी के रूप में विश्व में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एतिहातन रूप से मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2020 से बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2020 तक सभा की बैठकें नहीं होंगी ।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2020 को सभा की बैठक रखी जाये, इस दिन केवल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा । साथ ही इस विधेयक को विचार एवं पारण हेतु सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 2020 को लिया जायेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

(प्रतिपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

सोमवार, 16 मार्च, 2020

(सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं डमरूधर पुजारी सदस्यों द्वारा कार्यसूची फाइकर आसंदी की ओर फेंकी गई ।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अपराहन 12.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, शक संवत् 1942) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा